

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफ़सी) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकगण की नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संस्था के अंतर्नियम (एओए) के अनुसार, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफ़सी) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकगण की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की गई अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

वर्तमान में बोर्ड और उसकी समितियों की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकगण 20,000/- रुपए के सिटिंग शुल्क के लिए पात्र हैं तथा वे किसी लाभ आधारित कमीशन या स्टॉक विकल्प के लिए पात्र नहीं हैं।